e/; in'k jkt i=

¼vlk/kkj.k½

ikf/kdkj ls izdkf'kr

---

ou foHkkx
e=kky;] oYyHk Hkou] Hkksiky
Hkksiky] fnukad % ....

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2-वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 (1972 का सं,53) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा, म.प्र. वन्यप्राणी (संरक्षण), मध्यप्रदेश नियम,1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

l'kks/ku

उक्त नियमों में -

1. नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

ß34 /kkjk 28 dh mi/kkjk ¼1½¼[k½ ,o ¼?k½ esa mYyf[kr iz;kstuks ¼Øe'k% QksVksxzkQh ,oa i;ZVu½ ds fy;s vH;kj.; ;k jk"Vªh; m|ku esa izos'k%

¼1½ dksbZ Hkh 0;fDr ou foHkkx }kjk tkjh izos'k vuKk i= ds cxSj QksVksxzkQh vkSj@;k i;ZVu ds iz;kstu ls jk"Vªh; m|ku@ vH;kj.; esa izos'k ugha djsxkA

(2) **अनुज्ञा पत्रा की वैधता-** उप नियम (1) के अधीन जारी किया गया प्रवेश अनुज्ञा पत्रा, एकल प्रवेश या अनुज्ञा पत्रा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के लिये वैध होगा।

टीप : 1. कोष्ठक में दी गयी राशि वर्तमान दर या वर्तमान दरों पर आधारित गणना है। जहाँ कोष्ठक नहीं है वहां राशि में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

2. रेखांकित किया गया विवरण संशोधन प्रस्ताव है।

(3) **प्रवेश शुल्क** –उप नियम (1) में उल्लेखित अनुज्ञा पत्रा हेतु निम्नानुसार प्रवेश फीस देय होगीः–

क्र.	प्रवेश का प्रयोजन	टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्रा का नाम	दो पहिया वाहन		हल्के वाहन (जीप/ कार / जिप्सी) (8 व्यक्ति तक)		मिनी बस (9 से 32 व्यक्ति तक)		विशेष विवरण
			देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	देशी	विदेशी	
1.	वाहन से भ्रमण (प्रति राउण्ड)	समस्त टाइगर रिजर्व	–	–	500	2000	1600	12000	**1. यदि किसी वाहन में मिश्रित राष्ट्रीयता के पर्यटक सवार हों तो वाहन पर विदेशी नागरिकों की दर लागू होगी।** 2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा पार्क भ्रमण शुल्क का भुगतान किया गया है तो किसी विशिष्ट स्थल के दर्शन का शुल्क अलग से देय नहीं होगा। **3. राउण्ड की अवधि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकेगी।**
		अन्य संरक्षित क्षेत्रा	–	–	400	1500	1000	10000	
2.	वाहन से विशिष्ट स्थल के दर्शन	पचमढ़ी व्यू पाइंट्स	100	600	400	1500	1000	10000	
		वन विहार रा0उ0	50	500	400	1500	800	8000	
		अन्य विशिष्ट स्थल (पाण्डव फाल, रनेह फाल एवं अन्य ऐसे स्थल जो प्रबंधन द्वारा तय किये जायें।)	40	200	200	1000	400	2000	

क्र.	प्रवेश का परियोजन	राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/ स्थल	भारतीय नागरिक	विदेशी नागरिक	विशेष विवरण
3	पैदल/ साइकिल से विशिष्ट स्थलों के दर्शन	फासिल रा.उद्यान	10	150	प्रति व्यक्ति
		पचमढ़ी व्यू पाइंट्स	20	200	
		वन विहार	20	200	
		अन्य विशिष्ट स्थल	15	150	
4	ट्रेकिंग (पैदल लंबा भ्रमण)/ साईकिल पर भ्रमण (निर्धारित रूट पर)	वन विहार	50	500	प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
		अन्य	100	1,000	
5	कैंपिंग (केवल क्षेत्रा संचालक/ वन संरक्षक द्वारा अभीहित अहातो में)		300	3000	प्रति रात्रि–इसमें निर्धारित मार्ग पर ट्रेकिंग/साईकलिंग भी सम्मिलित होगा। कैम्प में पहुंचना एवं वापस आना सामान्य पर्यटन अवधि में ही अनुमति योग्य होगा।

क्र.	प्रवेश का परियोजन	राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य/ स्थल	भारतीय नागरिक	विदेशी नागरिक	विशेष विवरण
6	भ्पकम **मचान** या वाच टावर से वन्यप्राणी दर्शन	टाइगर रिजर्व अन्य राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य	150 75	1500 750	**स्थल की क्षमता या संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी स्थल पर पर्यटकों की सीमा निर्धारित की जा सकती है। यह सुविधा अधिकतम 4 घंटे की होगी।**

टीपः 1. ऑटो रिक्शा का प्रवेश शुल्क दो पहिया वाहन से दुगना होगा।

2. यदि बस में 32 से अधिक सवारी हों तो प्रत्येक अतिरिक्त सवारी के लिये रू. 50/- (देशी पर्यटक) रू. 500/- (विदेशी पर्यटक) शुल्क देय होगा।

3. क्षेत्रा संचालक/ वन संरक्षक किसी राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य में प्रबंधन की दृष्टि से उचित समझें तो किसी विशिष्ट प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर सकेंगे या वाहनों की विशेषताएं निर्धारित कर सकेंगे।

4. वाहन से पूरा दिन भ्रमण, जिसमें मध्यान्ह के समय निर्धारित पेट्रोलिंग कैम्प या वाच टावर का उपयोग शामिल होगा, तीन राउंड के बराबर शुल्क देय होगा।

5. वाहन चालक पर्यटकों की संख्या में गिने जायेंगे, किन्तु इस संख्या में गाईड नहीं गिने जायेंगे।

(4) हाथी पर भ्रमणः-

(क) पर्यटन हेतु

हाथी पर एक बार में अधिकतम 4 व्यक्ति बिठाये जायेंगे। वयस्कों के साथ पांच वर्ष की आयु तक के बच्चे को इस संख्या में नहीं गिना जायेगा। हाथी की सवारी अधिकतम एक घण्टा की होगी,। हाथी की सवारी की फीस निम्नानुसार देय होगी :-

क्रमांक	विवरण	भारतीय नागरिक	अन्य देशों के नागरिक
1.	प्रति व्यक्ति	100	600

(ख) फिल्मांकन एवं फोटोग्राफी के लिये हाथी शुल्क :

भारतीय शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थान	रू. 5,000/- प्रतिदिन
अन्य	रू. 10,000/- प्रतिदिन

(5) फिल्मांकन/फोटोग्राफी :-

(क) राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में फिल्मांकन की अनुमति क्षेत्रा संचालक/ वन संरक्षक द्वारा दी जावेगी। यदि किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य पर्यटन से हटकर अतिरिक्त समय या स्थल पर जाकर स्टिल फोटोग्राफी की अनुमति चाही जाती है तो यह दरें ही लागू होगी। यह शुल्क फिल्मांकन/फोटोग्राफी की अनुमति अवधि के लिए अग्रिम रूप से देय होगा।

देय शुल्क		
	भारतीय शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थान	**अन्य**
फिल्मांकन (स्टिल फोटोग्राफी सहित)	15,000/- प्रति दिन	25,000/- प्रति दिन
स्टिल फोटोग्राफी	5000/- प्रति दिन	10,000/- प्रति दिन

(ख) **प्रतिभूतिः** उक्त शुल्क के अतिरिक्त फिल्मांकन की अनुमानित कालावधि के लिये रूपये 1ए00ए000 (रूपये एक लाख) अथवा रूपये 10ए000 (दस हजार रूपये) प्रतिदिन जो भी कम हो, प्रतिभूति निक्षेप फिल्मांकन से पूर्व एकमुश्त जमा करानी होगी। स्टिल फोटोग्राफी के लिये प्रतिभूति निक्षेप रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार केवल) या रूपये 5,000/– (रूपये पाँच हजार केवल) प्रति दिन, जो भी कम हो, होगी। प्रतिभूति की निर्बंधन तथा शर्तें क्षेत्रा संचालक/वन संरक्षक द्वारा तय की जावेंगी।

(ग) **क्षतिपूर्तिः** यदि फिल्मांकन/ फोटोग्राफी के अनुज्ञिप्त धारी या उसके किसी सहायक या साथी द्वारा अनुज्ञप्ति की निब ंधनों तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में उप संचालक/ वन मंडलाधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी के अधिकारी द्वारा प्रत्येक उल्लंघन के लिए रूपये 10,000 (रूपये दस हजार) तक की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकेगी। यह अधिरोपण संबंधित व्यक्ति या अनुज्ञिप्त धारी को सुनवाई का मौका दिये बिना नहीं किया जावेगा। आरोपी द्वारा कार्य की स्वीकृति कालावधि के भीतर जुर्माने का भुगतान न किये जाने की दशा में जुर्माना प्रतिभूति निक्षेप से वसूल किया जा सकेगा।

(6) **पर्यटकों द्वारा फोटोग्राफी**

वीडियो कैमरा स्टिल कैमरा	**<u>निःशुल्क</u>**

(7) **नौकायनः**–यह दरें संचालक/वन संरक्षक द्वारा निर्धारित की जावेंगी। इस सुविधा को संचालित करने के लिये प्रशिक्षित नाविक, लाईफ गार्ड एवं लाईफ जैकेट का होना अनिवार्य होगा।

(8) **गाईड एवं नेचुरालिस्ट** – जहॉ उपलब्ध हो, **<u>सभी गतिविधियों</u>** के लिये पर्यटकों के साथ गाईड होना अनिवार्य है। उच्च श्रेणी के गाईड नैचुरालिस्ट कहलांयेगें। उनकी श्रेणियां, योग्यतायें एवं दरें निम्नानुसार होंगीः–

(क) **गाईड एवं नेचुरालिस्ट की न्यूनतम योग्यताः–**

1. **नेचुरालिस्ट श्रेणी एन–1**

स्नातक, अग्रेंजी या फ्रांसीसी या जर्मन भाषा का ज्ञान, स्तनधारी वन्यप्राणी, पक्षी, पौधे, तितली एवं सांपों की पहचान एवं उनके बारे में रौचक जानकारी, वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार का ज्ञान, वन्यप्राणी साक्ष्य एवं चिन्हों का ज्ञान, वन्यप्राणी गणना प्रक्रिया एवं वर्तमान वन्यप्राणी संख्या का ज्ञान, इन्टरप्रेटेशन केन्द्र का ज्ञान, पर्यटन नियमों का ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य के भूगोल, वनों एवं वन्यप्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, क्षेत्रा की आदिवासी संस्कृति का सामान्य ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का प्रमाण पत्रा, पाँच वर्ष का अनुभव।

2. **नेचुरालिस्ट श्रेणी एन–2**

स्नातक, अग्रेंजी या फ्रांसीसी या जर्मन भाषा का ज्ञान स्तनधारी वन्यप्राणियों एवं पक्षियों का ज्ञान, आम वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक जानकारी, अन्य श्रेणियों का सामान्य ज्ञान, वन्यप्राणी साक्ष्य एवं चिन्हों का ज्ञान, वन्यप्राणी गणना प्रक्रिया एवं वर्तमान संख्या का ज्ञान, इन्टर प्रेटेशन केन्द्र का ज्ञान, पर्यटन नियमों का ज्ञान। वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण के वैज्ञानिक आधार का ज्ञान राष्ट्रीय उद्यान /अभ्यारण्य के भूगोल, वनों एवं वन्यप्राणियों के संबंध में पूर्ण जानकारी, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्रा, 3 वर्ष का अनुभव।

3. **गाईड श्रेणी जी–1**

12 वी कक्षा उत्तीर्ण, अग्रेंजी का कुछ ज्ञान, सभी स्तनधारी वन्यप्राणियों एवं आम पक्षियों की पहचान, आम वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक जानकारी, राष्ट्रीय उद्यान के वनों का सामान्य ज्ञान, वन्यप्राणी साक्ष्य एवं चिन्हों का ज्ञान, वन्यप्राणी गणना प्रक्रिया एवं वर्तमान संख्या का ज्ञान, इन्टरप्रेटेशन

केन्द्र का ज्ञान, पर्यटन नियमों का ज्ञान, क्षेत्रा के वनों के बारे में जानकारी ,प्राथमिक चिकित्सा का प्रमाण पत्रा, 3 वर्ष का अनुभव।

4. **गाईड श्रेणी जी–2**

वन्यप्राणियों की पहचान, वन मार्गो की पहचान, आम वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक जानकारी। राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य के वनों एवं वन्यप्राणियों के बारे में सामान्य जानकारी। वन्यप्राणी प्रबंधन, व्यवहार एवं रहवास आदि का ज्ञान, पर्यटन नियमों का ज्ञान, अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक।

(ख) नैचुरालिस्ट /गाईड की शुल्क : कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्वः

क्र	श्रेणी	दर (रूपये)		
		वाहन द्वारा पार्क भ्रमण (एक राउण्ड)	ट्रेकिंग/ साईकिल से भ्रमण प्रतिदिन	कैंपिंग (एक रात एवं दो दिन)
1	छ.1	400	900	2000
2	छ.2	250	600	1000
3	ळ.1	200	500	800
4	ळ.2	150	300	500
5	कुली	–	150	350

(9) प्रवेश हेतु प्रतिबंधित अवधि–

(क) सामान्यतः वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, राला मंडल अभ्यारण्य, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, केन घड़ियाल अभ्यारण्य में रनेहफाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाण्डव फाल, पचमढ़ी स्थित दर्शनीय स्थलों, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य), ओरछा अभ्यारण्य, रातापानी अभ्यारण्य में भीम बैठिका, बर्रूसोत तथा देलावाड़ी एवं माधव राष्ट्रीय उद्यान में कोई प्रतिबंधित अवधि नहीं होगी। शेष राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में एक जुलाई से तीस सितम्बर तक की अवधि प्रतिबंधित अवधि होगी। किन्तु मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की अनुमति से निर्धारित मार्गो /स्थलों पर ट्रेकिंग, साईकिल भ्रमण, कैंपिंग एवं भ्पकम ६ वाच टावर के उपयोग एवं फिल्मांकन के लिये प्रतिबंधित अवधि में अनुज्ञा पत्रा जारी किये जा सकेंगे।

(ख) राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य में वाहन से भ्रमण केवल सूर्योदय से आधा घंटा पूर्व एवं सूर्यास्त के आधा घंटा बाद तक ही किया जा सकेगा। प्रवेश एवं बाहर आने का वास्तविक समय संबंधित संरक्षित क्षेत्रा में क्षेत्रा संचालक/ संचालक/ वन मंडल अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

(10) निःशुल्क प्रवेश एवं विशेष शुल्क

(क) प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान /अभ्यारण्यों में पॉच वर्ष तक की आयु के बच्चों (व्यस्कों के साथ) हेतु प्रवेश शुल्क एवं हाथी पर भ्रमण करने के शुल्क की छूट रहेगी।

(ख) शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों के अधिकृत अध्ययन प्रवास, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के अधिकृत अध्ययन प्रवास पर आये छात्रों/ प्रशिक्षणार्थियों,

प्रशिक्षकों एवं सहायक स्टाफ को निःशुल्क प्रवेश की पात्राता होगी। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, **क्षेत्रा संचालक अथवा वन संरक्षक** विशेष परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति या समूह को निःशुल्क प्रवेश की अनुमति दे सकेंगे।

(ग) कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा एवं पेंच टाइगर रिजर्व में 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक (16 दिन) तथा दीपावली एवं होली के 2 दिन पहले एवं 3 दिन बाद (6 दिन) सभी शुल्क गाईड शुल्क सहित सामान्य से दो गुना रहेंगे।

(11). **विविध** –

(क) **मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक यदि आवश्यक समझे तो किसी भी संरक्षित क्षेत्रा में धारण क्षमता के आधार पर वाहनों की संख्या, सीमा तय कर सकेगा।**

(ख) किसी भी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में अनाधिकृत रूप से कोई भी विज्ञापन, प्रदर्शक पट्ट,बोर्ड, बैनर, चार्ट आदि प्रदर्शित करना, चिपकाना, परिनिर्मित करना या बनाये रखना निषिद्ध होगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड, कूड़ादान अथवा अन्य किसी भी वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गयी बात अथवा चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा अथवा विकृत नहीं करेगा।

(घ) किसी प्रशासकीय आवश्यकता अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियां में किसी व्यक्ति विशेष या सभी व्यक्तियों के प्रवेश/ भ्रमण अथवा उनके द्वारा किसी मार्ग या स्थल का उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(ड.) शासन के विनिर्दिष्ट आदेशों के सिवाय राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर कोई सम्मेलन, बैठक आदि आयोजित नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध म.प्र. राज्य वन्यप्राणी मंडल एवं मध्यप्रदेश राज्य वन विभाग के अधिकारियों की बैठकों तथा वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों तथा वनाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशालाओं के आयोजन पर लागू नहीं होगा।

(च) किसी भी व्यक्ति को संचालक/ उप संचालक/ वन मंडल अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना राष्ट्रीय उद्यान /अभ्यारण्य में स्पॉट लाइट, अथवा सर्च लाइट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

(छ) **फिल्मांकन, नौकायन,** ट्रेकिंग, कैंपिंग एवं वाच टावर/ हाईड के उपयोग आदि के लिए विस्तृत मार्ग दर्शक निर्देश मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा म.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड के परामर्श से जारी किये जायेंगे, जिन्हें इन नियमों का अंश माना जावेगा।

(ज) **इन नियमों या पार्क प्रबंधन द्वारा जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में वन क्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर का अधिकारी प्रत्येक उल्लंघन के लिये रूपये 500/– तक का क्षतिपूर्ति वसूल कर सकेगा। क्षतिपूर्ति की दरें संबंधित क्षेत्रा संचालक/ वन संरक्षक द्वारा निर्धारित की जायेंगी।**

(झ) **दरों के निर्धारण के लिये नेपाल के नागरिक भारतीय नागरिकों के समान माने जायेंगे।**

(ट) किसी राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य में पर्यटकों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग क्षेत्र संचालक/ वन संरक्षक द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(ठ) **इन नियमों में उल्लेखित सेवाओं के अलावा कोई अन्य पर्यटन सुविधा/ सेवा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की पूर्वानुमति से तथा उनके द्वारा निर्धारित दरों पर प्रारंभ की जा सकेगी।**

2. यह संशोधन 1 जनवरी 2008 से प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
नाम से तथा
आदेशानुसार

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन
विभाग,
मत्राालय, वल्लभ भवन,
भोपाल

Madhya Pradesh Forest Department
Mantralaya, Vallabh Bhawan
Bhopal.

<u>Notification</u>

Date:

No.F-14-82-1988-Ten-2- Under the powers vested in it, under section 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government amends the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules 1974 as follows, namely:

Amendment

In the said Rules:-

1. Rule 34 shall be replaced with the following:

"34. **Entry to national parks and sanctuaries for the purposes of section 28 (1) (b) and (d) (photography and tourism respectively):**

1. No person shall enter a national park of a sanctuary for the purposes of photography and/or tourism, without an entry permit.
2. Validity of the Permit: The permit issued under sub-rule (1) shall be valid for a single entry or for the period mentioned in the permit.
3. Entry Fee – The fees payable for the entry permits mentioned in sub-rule (1) shall be as follows:

Sr. No.	Purpose of Entry	Tiger Reserve/Protected Area	Two Wheeler Vehicles		Light Vehicles (Jeep/Car/Gypsy) (Upto 8 persons)		Minibus (9 to 32 persons)		Remarks
			Indian	Foreigners	Indian	Foreigners	Indian	Foreigners	1. Rates for foreigners shall be applicable if persons of mixed nationalities travel in a vehicle. 2. If a person has paid for a round in the park, the charges for visiting specific spots shall not be payable separately. 3. The period of a round can be decided by the authorized officer.
1	Viewing Wildlife in Vehicles (Per Round)	All Tiger reserves	-	-	500	2000	1600	12000	
		Other Protected Areas	-	-	400	1500	1000	10000	
2	Visiting Specific Spots in Vehicles	Pachmarhi View Points (All)	100	600	400	1500	1000	10000	
		Van Vihar	50	500	400	1500	800	8000	
		Other Specified Spots (Pandav falls, Raneh Falls and any other spots earmarked by the management)	40	200	200	1000	400	2000	

	Purpose of Entry	National Park/Sanctuary/Spot	Indian Citizens	Foreigners	Remarks
3	Visiting a Specific Spot on Foot	Fossil NP	10	150	Per Person
		Pachmarhi View Points	20	200	
		Van Vihar	20	200	
		Others	15	150	
4	Trekking/Cycling (on specified routes)	Van Vihar	50	500	Per day, per person
		Others	100	1000	
5	Camping (Only at compounds earmarked by Field Director/Conservator)	All National Parks and Sanctuaries	300	3000	Per night. The rate includes trekking/cycling on designated routes. Arrival at and Departure from the camp site shall be allowed only during normal tourism hours.
6	Wildlife Viewing from Hide/Machan/Watch Towers	Tiger Reserves	150	1500	Management can limit the number of persons at any spot according to the sensitivity of the site. This facility will be allowed only for a maximum of four hours.
		Others	75	750	

Remarks:

1. The fee for an autorickshaw shall be double of the rate for two wheelers.
2. Rs. 50 for Indians and Rs. 500 for Foreigners shall be charged for every person in excess of 32 in a minibus.
3. The Field Director/Conservator of Forests may restrict the entry of any category of vehicles or can decide the specifications of the vehicles that may be allowed in the protected areas.
4. A full day safari, which may include midday use of specified patrolling camp or watch tower, shall be charged at three times the fee for a round.
5. Drivers shall be counted in the number of passengers allowed in a vehicle while the guides shall not be so counted.

(4) Elephant Rides:-

(a) For Tourism

Only four persons shall be allowed to sit on an elephant. Children upto 5 years of age shall be allowed free, along with adults. An elephant ride shall be for a maximum of one hour. Elephant rides shall be charged at the following rates:

	Indian Citizens	Foreigners
Per Person	100	600

(b) For Filming and Photography

Indian Educational/Research Institutes-Rs. 5]000@& Per Day Others - Rs. - 10]000@& Per Day

(5) Filming/Photography

(a) Permission for filming/photography shall be given by the Field Director/ Conservator of Forests. These rates shall be applicable only if permission is asked for filming/photography beyond the time and away from the routes for ordinary tourists. This fee shall be payable in advance for the entire period of filming/photography.

Category	**Indian Educational/Research Institutes.**	**Others**
Filming (including still photography)	15,000 per day	25,000 Per day
Still Photography	5,000 Per day	10,000 Per day

(a) **Security Deposit**: Besides the above fee, a security deposit of Rs. 1,00,000/- (Rs. 1 Lakh) or Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand) per day for the estimated period of filming, whichever is less, shall have to be deposited in full prior to filming. For still photography the Security deposit shall be Rs. 20,000/- (Rs. Twenty thousand) or Rs. 5,000/- (Rs. Five thousand only) per day, whichever is less. The terms and conditions governing the security deposit will be determined by the concerned Field Director/ Conservator.

(b) **Compensation:** In Case of any violation of the terms and conditions by the bearer of the filming/ Photography permit or by his assistant / helper or servant, a fine upto Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) can be levied by an officer not below the rank of Deputy Director/ DFO for every violation. The fine will not be levied before the party has been given an opportunity to be heard. The fine can be recovered from the Security deposit in the event of the party not paying the fine within the sanctioned period of work.

(6) Photography by Tourists:

Video Camera- Free
Still Camera - Free

(7) Boating: The rates will be determined by the concerned Director/ Conservator of Forests. Trained boatmen, life guards and life jackets will be compulsory for providing this facility.

(8) Guides and Naturalists: Guides, wherever available, will compulsorily accompany the tourists, for all tourist visits except for serial no. 2 of sub-rule (3) (Visiting special places) .Guides of superior quality will be designated as Naturalists. The categories, qualifications and remuneration of guides will be as follows:

(a) Minimum Qualifications for Guides and Naturalists:

1. **Naturalist Category N-1:**

Graduate, knowledge of English or French or German, Identification of Mammals, birds, Flora, Butterflies and snakes and knowledge of interesting facts about them, knowledge of the scientific basis for conservation of environment and forests, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Parks/ Sanctuary, complete knowledge about the forests and wildlife of the area, general knowledge about local tribal culture, certificate of First aid, and a minimum experience of 5 years as a guide.

2. **Naturalists category N-2:**

Graduate, knowledge of English or French or German, Knowledge of Mammals and birds, Identification of common trees, General knowledge about other groups of animal and plants, and knowledge of interesting facts about them, knowledge of the scientific basis for conservation of environment and forests, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Parks/ Sanctuary, complete knowledge about the forests and wildlife of the area, general knowledge about local tribal culture, certificate of First aid, and a minimum experience of 3 years as a guide.

3. **Guide category G-1:**

Class 12 Pass, Working knowledge of English, Identification of all Mammals and common birds, Identification of common trees, and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about forests of the National Parks, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Parks/ Sanctuary, knowledge about the forests of the area, certificate of irst aid, and a minimum experience of 3 years as a guide.

4. **Guide category G-2:**

Knowledge of wildlife, Knowledge of roads, Identification of common trees, and knowledge of interesting facts about them. General knowledge about the forests and wildlife of the area. Knowledge Wildlife management, animal behavior, habitat etc. Knowledge of tourist rules, do's and don'ts, Eagerness to learn more about forests and wildlife.

(b) **Fees For Naturalists/ Guides**

Sr.	Category	Rate (Rupees)		
		Excursions in Vehicles (One Round)	Trekking/Cycling (Per day)	Camping (One day and two nights)
	N-1	400	900	2000
	N-2	250	600	1000
	G-1	200	500	800
	G-2	150	300	500
	Porter	-	150	350

9. Closed Period

(a). Ordinarily there shall be no closed season for Van Vihar National Park, Ralamandal sanctuary, Fossil National Park, Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park, Tourist spots of Pachmarhi, Chidikhoh (Narsinghgarh Sanctuary) Orchha Sanctuary, Bhimbetka, Barur sot and Delavadi in Ratapani Sanctuary, and Madhav National Park. The period between Ist July and 30th September shall be the prohibited period for other national parks and sanctuaries. However, permits for trekking, cycling, camping at specified routes/ places and for the use use of hides/ watchtowesr and filming during the restricted period can be issued with the permission of the Chief Wildlife Warden.

(b) Excursions by vehicles inside National Park/ Sanctuary will be permitted only between half an hour before sunrise and upto half an hour after sunset. Actual entry and exit times shall be determined by the concerned Field Director/ Director/ DFO of the National Park/ Sanctuary.

10. Free Entry & Special Fees:

(a) Children upto 5 years of age (accompanied by adults) shall be exempted from payment of entry fee and elephant ride fee in all the National Parks / Sanctuaries of the State.

(b) Authorized study tours of students belonging to educational institutions, students/trainees, trainers and support staff of the training and research institutions of different state forest departments and the MOEF, will be entitled for free entry. The Chief Wildlife Warden, Field Director or the Conservator of Forests, under special circumstances, can permit free entry to any person or group.

11. Miscellaneous:

(a) The Chief Wildlife Warden may, if deemed necessary, limit the number of vehicles entering a protected area, on the basis of its carrying capacity.

(b) Unauthorised display, sticking or preparation of advertisements, signboards, banners and charts etc, or continue to do so,. in any national park or sanctuary will be prohibited;

(c) No person shall destroy, damage or deface any writing or signs etc. on any tree, bridge, rock, fence, seat, notice board, trash box or any other article or place, in any national park or sanctuary;

(d) Under unavoidable circumstances, the entry/ excursions, or the use of any route or place by any person or by all persons can be prohibited.

(e) No conferences, gatherings, meetings etc. can be organized inside National Parks/ Sanctuaries except under specific orders of the Government This restriction shall not apply to the meetings of the Madhya Pradesh State Wildlife Advisory Board, meetings of Forest Officers of Madhya Pradesh, training programmes or workshops for forest officers and trainees belonging to institutions imparting training in forest and wildlife conservation and management.

(f) No person shall be allowed to use spot lights inside National Parks/ Sanctuaries by anyone unless permitted in advance by the concerned Director/ Dy. Director/ DFO.

(g) Detailed guidelines for filming, trekking, camping and use of watch tower/ hides etc. will be issued by the Chief Wildlife Warden in consultation with the Madhya Pradesh Ecotourism Development Board. These guidelines will form part of these rules.

(h) An officer not below the rank of a forest ranger shall be entitled to recover compensation upto Rs. 500 for any breach of these rules or directions issued by the park management. The rates of such compensation shall be decided by the Field Director/Conservator of Forests.

(i) The citizens of Nepal shall be treated at par with Indian citizens with regard to the determination of fees.

(j) The Field Director/Conservator of Forests can prohibit the use of mobile phones by visitors inside any national park /sanctuary.

(k) Any other visitor service/facility, not mentioned in these rules, may be started with the prior permission of the Chief Wildlife Warden.

2. This amendment shall come into force with effect from 1 January, 2008.

By order and in the name of

the Governor of Madhya Pradesh

Additional Secretary

Government of Madhya Pradesh, Forest Department

Mantralaya, Vallabh Bhawan,Bhopal.